

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-13/स्था0-02-11/2026/

पटना/दिनांक -

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा के पत्रांक-769 दिनांक-16.03.2026 से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमति रूपम कुमारी (आई0डी0-जे0 11939), नवनियुक्त कनीय अभियंता (असै0), सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक -9889 दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में उनके प्रथम संतान हेतु दिनांक-01.04.2026 से दिनांक-27.09.2026 तक (कुल 180) दिनों की अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. नियंत्री पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(मनीष आनंद)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक -

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

पटना/दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, सहरसा द्वारा विभागीय पत्रांक 769 दिनांक 16.03.2026 के क्रम में/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर/श्रीमति रूपम कुमारी, नवनियुक्त कनीय अभियंता (असै0), सिंचाई प्रमंडल, वीरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक -

2067

पटना/दिनांक -

17/04/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, बिहार, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

M. A. S. 17/04/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।